

राजस्थान सरकार

सामान्य प्रशासन (गुप-2) विभाग

क्रमांक :- प.17(1)साप्र/2/22

जयपुर, दिनांक : 11/05/2023

-: आदेश :-

श्रीमती हेमलता भीणा, लिपिक ग्रेड-I, वित्त (पैशान) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को इनकी पंचम-श्रेणी की वरियता संख्या 37/2017 व सेवानिवृत्ति दिनांक 31.03.2053 है, के आधार पर इस विभाग के समसंचयक आदेश दिनांक 04.04.2023 द्वारा आवंटित राजकीय आवास संख्या 5/100, गांधीनगर, जयपुर के स्थान पर प्रथम परिवर्तन के अंतर्गत राजकीय आवास संख्या 5/03, गांधीनगर, जयपुर का नियमानुसार कियाये भुगतान की शर्त पर निम्न शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटन/परिवर्तन किया जाता है।

शर्तः :-

- आवास का कब्जा आवंटन/रिक्त की तिथि से 8 कार्य दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
- उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के कियाये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
- सेवानिवृत्ति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
- जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
- स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने /क्रय करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
- सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आवंटन वितरण अधिकारी— यूँकि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(ग)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन उक्त के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी भूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान कियाया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुष्ठैय हो तो शेक्षण करनी होगी।
- आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिकारी अधियन्त को यह घोषणा करनी होगी।
 - आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरस्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे हैं।
 - आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति/परिव व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम ये जयपुर में निजी आवास निर्मित/क्रय नहीं किया है।
 - उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से

(डॉ हर सहाय भीणा)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- जिला कलवटर, जयपुर।
- उप शासन सचिव, कार्मिक (ख-1) विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके बेतन से नियमानुसार कियाया वसूली को सुनिश्चित करायें।
- निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके बेतन से नियमानुसार कियाया वसूली को सुनिश्चित करायें।
- कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
- अधिकारी अधियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड-तृतीय (मुख्यालय) जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस आवंटन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की आवश्यक पूर्ति करने के पश्चात ही आवंटन की कार्यवाही सुनिश्चित करायें।
- अधिकारी अधियन्ता, जन स्वास्थ्य अधियांत्रिकी विभाग, गांधीनगर जयपुर।
- अधिकारी अधियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, रामबाग सर्किल, जयपुर।
- प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (गुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर-कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करायें।
- सहायक अधियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग औंकी गांधीनगर, जयपुर।
- श्रीमती हेमलता भीणा, लिपिक ग्रेड-I, वित्त (पैशान) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि कब्जा लेने से पूर्व इस आवंटन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की अपने स्तर पर आवश्यक पूर्ति कर अधिकारी अधियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड-तृतीय (मुख्यालय) जयपुर को सम्बलवाने के पश्चात ही कब्जा प्राप्त करें साथ ही पूर्व आविष्ट आवास 7 दिवस में रिक्त कर रिपोर्ट इस विभाग को लिजवाना सुनिश्चित करेंगे।
- निजी सचिव, शासन सचिव, साप्रवि।
- रक्षित पत्रावली।

Signature valid

संयुक्त शासन सचिव

Digitally signed by H. Sahay Meena

Designation : Joint Secretary

Date: 2023.05.11 15:49:22 IST

Reason: Approved